न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या –849/2023

अनवान : –

1. रघुवीर सिंह पुत्र बजरंग जाति राजपूत निवासी 6 जीजीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम्

1. ममता देवी पत्नी सुनील कुमार जाति ब्राहमण निवासी खचवाना हाल वार्ड स0 25 शिवपुरा बाय भादरा तहसील भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर

–असल प्रतिवादीगण

3. भूपेन्द्र सिंह पुत्र बजरंग सिह जाति राजपूत निवासी 6 जीजीएम तहसील नोहर।
4. विनोद कंवर पत्नी बजरंग सिंह जाति राजपूत निवासी 6 जीजीएम तहसील नोहर।
5. सुरेन्द्र सिंह पुत्र बजरंग जाति राजपूत निवासी 6 जीजीएम तहसील नोहर।

–तरतीबी प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत अन्तर्गत धारा 188 ,राजस्थान काश्त0</u>

<u>अधि0 1955</u>

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

<u>निर्णय</u> दिनांकः 10/04/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 5 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 107/107 की कुल 3.7570 हैक्ट भूमि वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण सं. प्रत्येक के नाम 1/4 हिस्सा भूमि संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजा 5 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 217/107 की कुल 0.7590 हैक्ट व खाता स0 218 की कुल 0.2150 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। रोही मौजा चक 5 जी.जी.ए[illegible] खाता सं. 107/107 की कुल तादादी 3.7580 हैक्टर भूमि के वादी एवं त[illegible] निर्बाध रूप से काबिज चले आ रहे है तथा वादग्रस्त कृषि भूमि पू[illegible]को वांद भूमि का वै[illegible]किया गया था एंव प्रतिवादी सं. 1 के नाम वादग्रस्त भूमि बैयनामा के आधार पर नामान्तरण [illegible] है परन्तु वादी के कब्जा काश्त में प्रतिवादी सं. 1 आये दिन दखल अन्दाजी करती है तथा वादी एवं तरतीबी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.16 17:05:29 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

प्रतिवादीगण सं. 3 ता 5 की भूमि पर काबिज होने एवं सींव मिस्मार करने पर उतारू है इसलिए वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 3 ता 5 के नाम रोही मौजा चक 5 जी. जी.एम. तहसील नोहर के खाता सं. 7/107 की कुल 3.7570 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के खिलाफ कब्जा काश्त में मदाखलत न करने की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवापाने की अधिकारी है इन्ही आशयों की वादी न्यायालय से घोषणा करवापाने का अधिकारी है यही बिनाय दावा है।

वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 3 ता 5 शान्ति प्रिय व्यक्ति है तथा अपने नाम दर्ज कृषि भूमि को निर्बाध रूप से काबिज एव काश्त करते आ रहे है तथा प्रतिवादी सं. 1 वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 3 ता 5 की कब्जा काश्त की भूमि में आये दिन दखल अन्दाजी कर रही है आये दिन सींव मिस्मार करने एवं खाला की भूमि नष्ट करने पर उतारू है यदि ऐसा करने में प्रतिवादी स0 1 कामयाब हो जाती है तो वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण को न पुरा होने वाला नुसान होगा इसलिए वादी प्रतिवादी स0 1 के खिलाफ मौका व कब्जा काश्त में दखल अन्दाजी न करे की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवा पाने का अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रविादीगण स0 1 की तरफ से अधिवक्त श्री राजपाल झोरड़ उपस्थित जवाब पेश नही करने पर जवाब बंद किया गया। साक्ष्य में वादी द्वारा शपथ पत्र पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार कियाग या।

अधिवक्ता वादी के निवेदन पर बहस सुनी गई। हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वर्तमान राजस्व किार्ड के अनुसार वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है वादी व प्रतिवादीगण एक दुसरे के पड़ौसी खातेदार काश्तकार है। वादीगण का कथन है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के कब्जा काश्त में दखल दिया जा रहा है एवं सींव व डोल को मिस्मार किया जा रहा है तथा खाला की भूमि को नष्ट किया जा रहा है लेकिन वादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे प्रतिवादीगण द्वारा वादी के कब्जा काश्त में मदाखलत बैजा किया गया हो या सीवं व डोल को मिस्मार किया गया हो वादी द्वारा केवल कथन किया गया है एवं कथनों के आधार पर वादी अनुतोष पाने की अधिकारी नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित नही होने के कारण खारिज योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक ....10/04/26..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.16 17:05:29 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या –849/2023

अनवान : –

1. रघुवीर सिंह पुत्र बजरंग जाति राजपूत निवासी 6 जीजीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम्

1. ममता देवी पत्नी सुनील कुमार जाति ब्राहमण निवासी खचवाना हाल वार्ड स0 25 शिवपुरा बाय भादरा तहसील भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर

–असल प्रतिवादीगण

3. भूपेन्द्र सिंह पुत्र बजरंग सिह जाति राजपूत निवासी 6 जीजीएम तहसील नोहर।
4. विनोद कंवर पत्नी बजरंग सिंह जाति राजपूत निवासी 6 जीजीएम तहसील नोहर।
5. सुरेन्द्र सिंह पुत्र बजरंग जाति राजपूत निवासी 6 जीजीएम तहसील नोहर।

–तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 849 सन 2023 निर्णय दिनांक 10/04/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/04/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.16 17:05:29 IST
Reason: SelfAttested